

| <p>तारीख हुक्म</p> | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>ओमाराम बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 117/2019</p> | <p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> |
|--------------------|--|--|
| <p>30.07.19</p> | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमाराम पुत्र कुनाराम मेघवाल पता औसिया, जिला जाधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.06.19 में उसके द्वारा (1) तहसीलदार औसियां द्वारा जारी किया गया पट्टा ग्राम औसियां में भूखण्ड आवंटन सन् 1974 खसरा नं. 1535 की सम्पूर्ण पत्रावली व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार औसियां) से आदिनांक तक कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> | |